**उत्तर प्रदेश शासन**

**वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2**

**संख्या-17/2017/वे0 आ 0-2- 858/दस-2(एम)/2016**

**लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2017**

**कार्यालय-ज्ञाप**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति/वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि)प्रकोष्ठ में उपलब्ध निम्न पदों को नियत मानदेय से भरे जाने की स्थिति में निम्नानुसार प्रतिमाह नियत मानदेय निर्धारित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

| क्र0 सं0 | पदनाम | नियत मानदेय की धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | वरिष्ठ परामर्शदाता* | रू0 45000=00 |
| 2 | विशेष कार्याधिकारी* | रू0 40000=00 |
| 3 | वरिष्ठ शोध अधिकारी* | रू0 40000=00 |
| 4 | शोध अधिकारी* | रू0 35000=00 |
| 5 | निजी सचिव* | रू0 35000=00 |
| 6 | अपर निजी सचिव* | रू0 28000=00 |
| 7 | अपर सांख्यिकीय अधिकारी* | रू0 25000=00 |
| 8 | लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष* | रू0 25000=00 |
| 9 | अवर वर्ग सहायक* | रू0 20000=00 |

*उपरोक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरे जाने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त सक्षम प्राधिकारी नामित है।

**अर्जुन सिंह**
**विशेष सचिव।**

**सं0-17/2017/वे0 आ 0-2-858(1)/दस-2(एम)/2016, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सचिव, वित्त (वेतन आयोग)।
4- सचिवालय प्रशासन(अधि0)-1/5
5- गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**
**के0 एल0 वर्मा**
**उप सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।